कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर

क्रमांकः–एफ.( )RFLBA/प्रमुवस/TREE/उ.व.स./आईटी/ईजी/2015–16/870-918 दिनांकः– 16/11/15

निमित्त,

उप वन संरक्षक टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरु, जयपुर उत्तर, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, बांरा, बूँदी, झालावाड, बॉसवाड़ा, चित्तौड़गढ, राजसमन्द, डूॅगरपुर,, प्रतापगढ, उदयपुर उत्तर, उदयपुर, उप वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर, आर.टी.आर. द्वितीय करौली, आर.टी.आर. प्रथम सवाईमाधोपुर, वन्य जीव जयपुर, बाघ परियोजना सरिस्का, वन्य जीव बीकानेर, वन्य जीव माउंट आबू, वन्य जीव जोधपुर, वन्य जीव जैसलमेर, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर, वन्य जीव कोटा, मुकन्दरा नेशनल पार्क कोटा, वन्य जीव चित्तौड़गढ़, वन्य जीव राजसमन्द, वन्य जीव उदयपुर।

विषय :– RFLBA Application के युजर मैनुअल के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तंगत निवेदन है कि आप के अधीन वन भूमि के रिकोर्ड को ऑनलाईन कर दिया गया है जिसे आप URL- http://rflba.raj.nic.in पर लोगिन कर देख सकते है। (इसके लिए Mozilla Firefox, Google Chrome ब्राउजर का उपयोग उचित होगा) वन मण्डलो के यूजर नेम एवं पासवर्ड दूरभाष से पूर्व में अवगत करा दिये गये थे। आप मोबाईल नं. 9462885284 एवं 9782485710 पर सम्पर्क कर पुनः यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है।

URL- http://rflba.raj.nic.in में लोगिन क्षेत्र में प्रत्येक डिविजन वाईज अपने युजर आई डी और पासवर्ड से लोगिन करे।

1. **नक्शा और फाईल के लिए उपयोगकर्ता अनुदेश की प्रकिया**
   a. Monthly Report लिंक पर जायें और Show Blockwise Map अथवा Show Notification पर क्लिक करें। उसके बाद स्कीन खुल जायेगी।
   b. वनमण्डल, रेंज अथवा वनखण्ड सलेक्ट करें। उसके बाद फोटो देखे, बटन पर क्लिक करे। क्लिक करने पर यदि एक ही फोटो है तो अपने आप खुल जायेगी। अन्यथा एक टेबल खुलेगी। उस टेबल में से सेलेक्ट करे।
   c एक से ज्यादा फाईल होने पर जिस नक्शे अथवा Notification को देखना हो उसके सामने View पर क्लिक करें।
2. **संशोधित फाईल को अपलोड करने की प्रक्रिया**
   a. PDF रिपोर्ट के लिंक पर जाये और रिपोर्ट पर क्लिक करें। एक्शल फाईल डाउनलोड करने का पेज खुलेगा।
   b. सबसे पहले रिपोर्ट टाईप (सत्यापन रिपोर्ट द्वितीय, नामांतरित रिपोर्ट, अनामांतरित रिपोर्ट,) सलेक्ट करें। उसके बाद आवश्कतानुसार रिपोर्ट लेवल (वनमण्डल, रेंज व वनखण्ड) के अनुसार सेलेक्ट करे।

      नोट :– सत्यापन रिपोर्ट द्वितीय – विज्ञप्ति के अनुसार उपलब्ध रिकॉर्ड।
      नामांतरित रिपोर्ट – म्यूटेशन के अनुसार उपलब्ध रिकॉर्ड।
      अनामांतरित रिपोर्ट – नॉन–म्यूटेशन के अनुसार उपलब्ध रिकॉर्ड।
   c. यदि आपको PDF रिपोर्ट देखनी हो तो PDF विवरणी देखे।
   d. डाटा बदलने के लिये Export in Excel पर Click करें और फाईल Save करें। फाईल Save करने के पश्चात डाउनलोड की गयी फाईल को खोले। उसमें विभिन्न प्रकार के कॉलम दिये गये है। (वन खण्ड का नाम, वन विभाग के अनुसार गांव का नाम, राजस्व विभाग के अनुसार गांव का नाम, विज्ञप्ति के अनुसार वन विभाग के नाम खसरा नम्बर, राजस्व के अनुसार वन विभाग के नाम खसरा नम्बर, विज्ञप्ति के अनुसार रकबा (हैक्टेयर), विज्ञप्ति के अनुसार रकबा (बीघा–विस्वा), राजस्व के अनुसार रकबा (हैक्टेयर), राजस्व के अनुसार रकबा (बीघा–विस्वा), स्थिति, विज्ञप्ति के अनुसार परिवर्तित वन विभाग के खसरा नम्बर, राजस्व के अनुसार परिवर्तित वन विभाग के खसरा नम्बर) इन कॉलम में अगर कोई संशोधन करना हो तो संशोधित कर सकते है और खसरे कोई संशोधन करना हो तो Excel फाइल में उन खसरो को विज्ञप्ति के अनुसार खसरा नम्बर एवं रकबा अथवा राजस्व के अनुसार नवीनतम खसरा नम्बर एवं रकबा को संशोधित अथवा जोड सकते है।
   e. अवशेष रहे वनभूमि रिकार्ड जोडने के लिये Download Blank Excel पर क्लिक कर फाईल Save करे।
   f. OK पर क्लिक करने पर फाईल Save हो जायेगी इस फाईल में डाटा ठीक करके Save कर ले और अपलोड करने के लिये Data Updation Menu पर जायें और संशोधित फाईल अपलोड पर क्लिक करे।

नोट :— Excel File को जिस रिपोर्ट लेवल के अनुसार डाउनलोड किया था उसी के अनुसार ही फाईल अपलोड होगी।

g. रिपोर्ट लेवल (सत्यापन रिपोर्ट द्वितीय, नामांतरित रिपोर्ट, अनामांतरित रिपोर्ट,) सेलेक्ट करें तथा रिपोर्ट के अनुसार (रेंज, वनमण्डल, वन खण्ड) सेलेक्ट करे। ब्राउजर पर क्लिक करे और Update Excel File को सलेक्ट करे।

h. आपकी फाईल अपलोड होने पर File Successfully uploaded का मेसेज स्क्रीन पर आयेगा। OK पर क्लिक करने पर फाईल Save हो जायेगी। अपलोड की गयी फाईल को दुबारा देखने के लिये संशोधित फाईल मेनु पर क्लिक कर देख सकते है।

इस कार्य में किसी प्रकार की समस्या व कठिनाई के लिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी मोबाईल नं. 9462885284 email ID - ro.it.forest@rajasthan.gov.in एवं मनोज कुमार DEO मोबाईल नं. 9782485710 पर सम्पर्क किया जा सकता है । यह कार्य 30 नवम्बर 2015 तक पूर्ण करा दिया जावे।

भवदीय

(ए.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ.( ) RFLBA / प्रमुवसं / TREE / उ.व.स. / आईटी / ईजी / 2015—16 / 919-932 दिनांकः— 16/11/15

प्रतिलिपि :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (WP&FS), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि यह एप्लीकेशन आपके अनुभाग के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अतः इसकी मॉनिटरिंग आपके स्तर से भी करवाने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर, वन्य जीव जयपुर, बाघ परियोजना सरिस्का मुख्यालय अलवर, वन्य जीव जोधपुर, वन्य जीव कोटा एवं वन्य जीव उदयपुर।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर